

(मरिचिष्य निरवाह निधि से अंतिम निष्कासन (Final Withdrawal) की स्वीकृत प्रदान करने के आदेश का प्रारूप) कार्यालय द्वारा

पं० न्यायालय, ७६२२३

१. एतद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी शेष मणि, प्रधान न्यायाधीश को उनके सामान्य मरिचिष्य निधि खाता संख्या एल०जे०००००० 21155 से ५२१० के लिए प्रयोजन के चयन सहित करने हेतु 20,00,000/- रुपये (शब्दों में) बीस लाख मरिचिष्य निधि (उ०प्र०) नियमावली, १९८५ के नियम संख्या 16(1)(A)(b) संघात 17(1)(a) के अनुरार स्वीकार किया जाता है।

२. अंतिम निष्कासन की धनराशि श्री/श्रीमती/कुमारी शेष मणि के ए महीने के वेतन अथवा निधि में जमा अवशेष के आधे/तीन चौथाई भाग से अधिक नहीं होगी। मूल नियमावली (फण्डामेंटल रूल) में यथापरिभाषित उनका मूल वेतन 68,750/- रु० है।

३. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी शेष मणि ने दिनांक 13/03/2016 को अपनी सरकारी सेवा के पन्द्रह/बीस वर्ष पूरे कर लिये हैं, १० वर्षों में अधिवाषिकी पर सेवा निवृत्त होंगे/होंगी।

४. दिनांक 01/11/2021 को उपलब्ध कराये गये अभिलेख की स्थिति के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी शेष मणि के खाते में जमा अवशेष राशि का ब्योरा निम्न प्रकार है।

(१) वर्ष <u>2020-21</u> की <u>दस</u> पचास/सामान्य मरिचिष्य निधि पास बुक की विवरणिका के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि	रु०	<u>58,73,551/-</u>
(२) माह <u>११</u> से माह <u>१२</u> तक प्रतिमाह की दर से अभिदान	रु०	<u>2,10,600/-</u>
(३) माह <u>११</u> से माह <u>१२</u> तक प्रतिमाह रु०	रु०	<u>+</u>
(४) मद (१), (२) तथा (३) का योग	रु०	<u>60,83,551/-</u>
(५) बाद में स्वीकृत अंतिम निष्कासन, यदि कोई हो	रु०	
(६) स्वीकृत प्रदान करने की तिथि को अवशेष मद	रु०	

(क) वर्ष २०२०-२१ की लेखा-पत्रिका के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी शेष मणि को पिछली बार आदेश संख्या १३७३ दिनांक १३/०३/२०१६ द्वारा रु० का कोई अंतिम निष्कासन स्वीकार नहीं किया गया था। (ख) ज्ञात हुआ है कि श्री शेष मणि को (जैसा कि उन्होंने बताया) शेष मणि (स्वीकृत कर्ता) द्वारा पिछली बार अंशतः अंतिम निष्कासन के रूप में रु० ५२१० की स्वीकृत प्रदान की गई थी।

दिनांक.....

सक्षम अधिकारी,
न्यायाधीश,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।